

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2017

अधिसूचना सं. 15/ 2017-सीमा शुल्क

सा. का. नि. (अ) केंद्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार, सा.का.नि. संख्या 91(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2011 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2011 में एतद्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "बांग्लादेश से" शब्दों के बाद "अथवा नेपाल" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

फा.सं. 550/06/2015-एल सी

(सत्यजीत मोहंती)
निदेशक (आई सी डी)

टिप्पणी - प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2011, सा.का.नि. 91(अ), दिनांक 14 फरवरी, 2011 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें, सा.का.नि. 895 (अ), दिनांक 23 दिसंबर, 2011 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 114/2011- सीमा शुल्क, दिनांक 23 दिसंबर, 2011 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।